



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06022020-215977  
CG-DL-E-06022020-215977

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 73]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 5, 2020/माघ 16, 1941

No. 73]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 5, 2020/MAGHA 16, 1941

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

(पशुपालन और डेयरी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 फरवरी, 2020

**सा.का.नि. 91(अ).**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तु द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य संस्थान, बागपत, अपर निदेशक, संयुक्त निदेशक और सहायक निदेशक, भर्ती नियम, 2006, केंद्रीय कुक्कुट विकास संगठन और यादृच्छिक नमूना कुक्कुट निष्पादन परीक्षण केंद्र (समूह 'क' और 'ख' पद) भर्ती नियम, 2007, कृषि मंत्रालय, पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग, केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म, हिसार (समूह 'क' पद) भर्ती संशोधन नियम, 2010, केंद्रीय हिमिंत वीर्य उत्पादन एवं प्रशिक्षण संस्थान, सहायक अनुसंधान अधिकारी (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2011, केंद्रीय गोपशु प्रजनन फार्म, कृषि मंत्रालय, पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग, पशुचिकित्सा अधिकारी (समूह 'क') भर्ती नियम, 2012, क्षेत्रीय अधिकारी (समूह 'क') पशु संगरोध एवं प्रमाणीकरण सेवा भर्ती नियम, 2012, संगरोध अधिकारी (समूह 'क') पशु संगरोध एवं प्रमाणीकरण सेवा, कृषि मंत्रालय, पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग भर्ती नियम, 2012, केंद्रीय गोपशु प्रजनन फार्म, कृषि मंत्रालय, पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग, निदेशक (समूह 'क') भर्ती नियम, 2013, केंद्रीय हिमिंत वीर्य उत्पादन एवं प्रशिक्षण संस्थान, तकनीकी अधिकारी (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2013, कृषि मंत्रालय, पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग, केंद्रीय हिमिंत वीर्य उत्पादन एवं प्रशिक्षण संस्थान, हैस्सरघट्टा, निदेशक, समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2014, कृषि मंत्रालय, पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग, केंद्रीय हिमिंत वीर्य उत्पादन एवं प्रशिक्षण संस्थान, हैस्सरघट्टा, वरिष्ठ उत्पादन अधिकारी, समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2014, पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग, सहायक आयुक्त (पशुपालन) समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2017, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन

विभाग, पशुधन अधिकारी (समूह 'क') पद भर्ती नियम, 2018, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, पशुपालन डेयरी और मत्स्यपालन विभाग, उपायुक्त (पशुपालन) समूह 'क' भर्ती पद नियम, 2018, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग संयुक्त आयुक्त (पशुपालन) समूह 'क' भर्ती पद नियम 2018, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, केंद्रीय पशुयुथ पंजीयन योजना, पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग, (समूह 'क' और 'ख' पद) भर्ती नियम, 2018 को जहां तक उसका संबंध प्रगतिशील सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन (डीएसीपी) स्कीम के अंतर्गत आच्छादित किये गये पदों से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में, पशुपालन और डेयरी विभाग के अधीन प्रगतिशील सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन स्कीम में आने वाले पशु चिकित्सक के पदों की भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम- पशुपालन और डेयरी विभाग, पशुचिकित्सा पद भर्ती नियम, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स के स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अन्य अर्हताएं आदि.**—भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **प्रतिनियुक्ति (जिसमें अल्पकालिक संविदा सम्मिलित है)**

(1) इन नियमों में अंतर्विष्ट होते हुए भी, जहां सरकार की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो भी कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके और आयोग के साथ परामर्श करके, आदेश द्वारा, इस अधिसूचना के साथ उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 11 में वर्णित अर्हता शर्तों को पूरा करने वाले केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों या वैधानिक या स्वायत्त संगठनों के उपयुक्त अधिकारियों से सहायक आयुक्त (स्तर-11), उपायुक्त (स्तर-12), और संयुक्त आयुक्त (स्तर-13) के ग्रेड में, सभी में इक्कीस (21) से अधिक पदों पर नियुक्ति नहीं करेगी।

(2) प्रतिनियुक्ति की अवधि, प्रतिनियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा और अन्य नियम एवं शर्तें समय-समय पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार होंगी।

5. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति

(क) जिसने, ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है: या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने, अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केंद्रीय सरकार की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग, के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछले वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

## अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद
1	2	3	4	5
संयुक्त आयुक्त	84* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। <b>टिप्पण 1:</b> पदों का संस्थानवार आवंटन इस प्रकार होगा: 1. मुख्यालय 38 2. केन्द्रीय भेड़ प्रजनन फार्म 04 3. राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य संस्थान 13 4. केन्द्रीय पशु रजिस्ट्रीकरण स्कीम 02 5. केन्द्रीय हिमिमत वीर्य उत्पादन और प्रशिक्षण संस्थान 05 6. पशु संगरोध तथा प्रमाणन सेवाएं 06 7. केन्द्रीय गोपशु प्रजनन फार्म 12 8. केन्द्रीय कुक्कुट विकास संगठन 04 <b>टिप्पण 2:</b> पशुधन अधिकारी का पद पशुधन अधिकारी, सहायक आयुक्त, उपायुक्त और संयुक्त आयुक्त के ग्रेडों में संयुक्त रूप से स्वीकृत कुल 84 पदों के अंदर संचालित होगा।	साधारण केंद्रीय सेवा, ग्रुप 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर-13 (1,23,100-2,15,900 रु.)	चयन पद

सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक एवं अन्य अहर्ताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।
6	7	8	9
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

<b>भर्ती की पद्धति:</b> भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाएगा।
10	11
रिक्ति से संबंध जोड़े बिना स्व-स्थाने आधार पर 100 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा	<b>प्रोन्नति:</b> वेतन मैट्रिक्स में स्तर-12 (78,800-2,09,200 रु.) में ऐसा उप आयुक्त जिसने ग्रेड में चार वर्ष की नियमित सेवा की हो। <b>प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि संविदा सहित):</b> केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान या स्वायत्त निकायों या कानूनी संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी जो: (क) (i) मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हैं: या (ii) वेतन मैट्रिक्स में स्तर-12 (78,800-2,09,200 रु.) या समतुल्य में मूल काडर या विभाग में नियुक्ति के पश्चात ग्रेड में नियमित आधार पर पांच वर्ष की सेवा की हो: और (ख) जो निम्नलिखित शैक्षणिक अहर्ताएं और अनुभव रखते हों:

	<p><b>आवश्यक:</b></p> <p>(i) भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 की पहली अनुसूची और दूसरी अनुसूची में सूचीबद्ध पशुचिकित्सा विज्ञान और पशुपालन में स्नातक डिग्री</p> <p>(ii) भारतीय पशुचिकित्सा परिषद या राज्य पशुचिकित्सा परिषद में रजिस्ट्रीकरण</p> <p>(iii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों या कानूनी संगठनों या स्वशासी निकायों या सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त संस्थानों से गोपशु और पशुधन विकास या कुक्कुट या पशु स्वास्थ्य या मांस या मांस उत्पादों में दस वर्षों का अनुभव हो।</p> <p><b>वांछनीय:</b></p> <p>(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पशुचिकित्सा विज्ञान और पशुपालन में किसी शाखा में स्नातकोत्तर डिग्री।</p>
--	--

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
12	13
<p><b>विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार विमर्श करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-</b></p> <p>1. सचिव, पशुपालन और डेयरी विभाग -अध्यक्ष</p> <p>2. संयुक्त सचिव (पशुपालन) -सदस्य</p> <p>3. संयुक्त सचिव (प्रशासन) -सदस्य</p>	<p>किसी अधिकारी को प्रतिनियुक्ति (जिसमें अल्पकालिक संविदा सम्मिलित है) पर नियुक्त करने के दौरान संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
उपायुक्त	<p>84* (2020)</p> <p>* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।</p> <p>टिप्पण- 1 :</p> <p>संस्थान-वार पदों का आवंटन निम्नानुसार है:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>मुख्यालय 38</li> <li>केन्द्रीय भेड़ प्रजनन फार्म 04</li> <li>राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य संस्थान 13</li> <li>केन्द्रीय पशु रजिस्ट्रीकरण स्कीम 02</li> <li>केन्द्रीय हिमिंत वीर्य उत्पादन और प्रशिक्षण संस्थान 05</li> <li>पशु संगरोध एवं प्रमाणीकरण सेवाएं 06</li> <li>केन्द्रीय गोपशु प्रजनन फार्म 12</li> <li>केन्द्रीय कुक्कुट विकास संगठन 04</li> </ol> <p>टिप्पण 2 :</p> <p>पशुधन अधिकारी का पद पशुधन अधिकारी, सहायक आयुक्त, उप आयुक्त, संयुक्त आयुक्त के ग्रेडों में कुल 84 सम्मिलित संस्वीकृत संख्या के भीतर संचालित किया जाना होगा।</p>	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर 12 (78,800-2,09,200 रु.)	चयन पद

(6)	(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(10)	(11)
रिक्ति से संबंध जोड़े बिना स्वस्थाने आधार पर 100 प्रतिशत प्रोन्नति के द्वारा	<p><b>प्रोन्नति:</b>  वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 (67,700-2,08,700 रु.) के ग्रेड में ऐसा सहायक आयुक्त जिसने पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो।  प्रतिनियुक्ति (जिसमें अल्प-कालिक संविदा सम्मिलित है) :</p> <p>केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या स्वशासी निकायों या कानूनी संगठनों के अंतर्गत ऐसे अधिकारी:-</p> <p>(क) (i) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं या  (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर 11 (67,700-2,08,700 रु.) या समतुल्य मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो, और  (ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हो:</p> <p><b>आवश्यक :</b>  (i) भारतीय पशुचिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 (1984 का 52) की प्रथम अनुसूची और द्वितीय अनुसूची में सूचीबद्ध पशुचिकित्सा विज्ञान और पशुपालन में स्नातक डिग्री;  (ii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या कानूनी संगठनों, स्वशासी निकायों, संस्थानों या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संबंधित संगठनों से गोपशु और पशुधन विकास या कुक्कुट या पशु स्वास्थ्य या मांस और मांस उत्पादों में आठ वर्षों का अनुभव हो।</p> <p><b>वांछनीय:</b>  किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पशुचिकित्सा विज्ञान और पशुपालन के किसी भी शाखा में स्नातकोत्तर डिग्री।</p>

(12)	(13)
<p><b>विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-</b></p> <p>1. सचिव, पशुपालन और डेयरी विभाग - अध्यक्ष  2. संयुक्त सचिव (पशुपालन) - सदस्य  3. संयुक्त सचिव (प्रशासन) - सदस्य</p>	<p>किसी अधिकारी को प्रतिनियुक्ति (जिसमें अल्पकालिक संविदा सम्मिलित है) पर नियुक्त करने के दौरान संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।</p>

1	2	3	4	5																
सहायक आयुक्त	<p>84* (2020)  कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।  <b>टिप्पण 1:</b> पदों का संस्थानवार आबंटन इस प्रकार होगा:</p> <table border="0"> <tr> <td>1. मुख्यालय -</td> <td>38</td> </tr> <tr> <td>2. केन्द्रीय भेड़ प्रजनन फार्म</td> <td>04</td> </tr> <tr> <td>3. राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य संस्थान</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>4. केन्द्रीय पशु रजिस्ट्रीकरण स्कीम</td> <td>02</td> </tr> <tr> <td>5. केन्द्रीय हिमिंत वीर्य उत्पादन और प्रशिक्षण संस्थान</td> <td>05</td> </tr> <tr> <td>6. पशु संगरोध एवं प्रमाणीकरण सेवाएं</td> <td>06</td> </tr> <tr> <td>7. केन्द्रीय गोपशु प्रजनन फार्म</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>8. केन्द्रीय कुक्कुट विकास संगठन</td> <td>04</td> </tr> </table> <p><b>टिप्पण 2:</b> पशुधन अधिकारी का पद पशुधन अधिकारी, सहायक आयुक्त, उपायुक्त और संयुक्त आयुक्त के ग्रेडों में संयुक्त रूप से संस्वीकृत कुल 84 पदों के भीतर संचालित होगा।</p>	1. मुख्यालय -	38	2. केन्द्रीय भेड़ प्रजनन फार्म	04	3. राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य संस्थान	13	4. केन्द्रीय पशु रजिस्ट्रीकरण स्कीम	02	5. केन्द्रीय हिमिंत वीर्य उत्पादन और प्रशिक्षण संस्थान	05	6. पशु संगरोध एवं प्रमाणीकरण सेवाएं	06	7. केन्द्रीय गोपशु प्रजनन फार्म	12	8. केन्द्रीय कुक्कुट विकास संगठन	04	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर-11 (67,700-2,08,700 रु.)	चयन पद
1. मुख्यालय -	38																			
2. केन्द्रीय भेड़ प्रजनन फार्म	04																			
3. राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य संस्थान	13																			
4. केन्द्रीय पशु रजिस्ट्रीकरण स्कीम	02																			
5. केन्द्रीय हिमिंत वीर्य उत्पादन और प्रशिक्षण संस्थान	05																			
6. पशु संगरोध एवं प्रमाणीकरण सेवाएं	06																			
7. केन्द्रीय गोपशु प्रजनन फार्म	12																			
8. केन्द्रीय कुक्कुट विकास संगठन	04																			

6	7	8	9
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	केंद्रीय कुक्कुट विकास संगठन और यादृच्छिक नमूना कुक्कुट निष्पादन परीक्षण केंद्र के सहायक निदेशक से सहायक आयुक्त के स्तर पर प्रोन्नति के लिए एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि अपेक्षित है।

10	11
रिक्ति से संबंध जोड़े बिना स्व-स्थाने आधार पर 100 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा	<p><b>प्रोन्नति:</b> वेतन मैट्रिक्स में स्तर 10 (56,100-1,77,500 रु.) में ऐसा पशुधन अधिकारी जिसने ग्रेड में चार वर्ष की नियमित सेवा की हो।</p> <p><b>टिप्पण:</b> केंद्रीय कुक्कुट विकास संगठन और यादृच्छिक नमूना कुक्कुट निष्पादन परीक्षण केंद्र में, इन नियमों की अधिसूचना की तारीख तक, वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (44,900-1,42,400 रु.) का पद धारण करने वाले सहायक निदेशक, जो पशुचिकित्सा विज्ञान में स्नातक की डिग्री और भारतीय पशुचिकित्सा परिषद अथवा राज्य पशुचिकित्सा परिषद में रजिस्ट्रीकरण की अनिवार्य अहर्ता रखते हैं, को भी, ग्रेड में आठ वर्ष की सेवा पूरी करने पर, सहायक आयुक्त के पद पर प्रोन्नति के लिए, विचार किया जाएगा।</p> <p><b>प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि संविदा सहित):</b> केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या स्वायत्त निकायों या कानूनी संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी जो,</p> <p>(क) (i) मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हैं: या (ii) वेतन मैट्रिक्स के स्तर 10 (56,100-1,77,500 रु.) में या समतुल्य में मूल काडर या विभाग में नियुक्ति के पश्चात ग्रेड में नियमित आधार पर चार वर्ष की सेवा की हो: और (ख) जो निम्नलिखित शैक्षणिक अहर्ताएं और अनुभव रखते हों:</p> <p><b>आवश्यक:</b></p> <p>(i) भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 (1984 का 52) की पहली अनुसूची और दूसरी अनुसूची में सूचीबद्ध पशुचिकित्सा विज्ञान और पशुपालन में स्नातक डिग्री (ii) भारतीय पशुचिकित्सा परिषद या राज्य पशुचिकित्सा परिषद में रजिस्ट्रीकरण; और (iii) गोपशु और पशुधन विकास या कुक्कुट या पशु स्वास्थ्य या मांस या मांस उत्पादों में पांच वर्ष का अनुभव हो।</p> <p><b>वांछनीय अहर्ता:</b> किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पशुचिकित्सा विज्ञान और पशुपालन में किसी शाखा में डॉक्टरेट डिग्री।</p>

12	13
<p>समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (पशुधन अधिकारी के पद को धारण करने वाले पदधारियों की प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए):-</p> <p>1. सचिव, पशुपालन और डेयरी विभाग -अध्यक्ष</p> <p>2. संयुक्त सचिव (पशुपालन) -सदस्य</p> <p>3. संयुक्त सचिव (प्रशासन) -सदस्य</p> <p>समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (सहायक निदेशक के पद को धारण करने वाले पदधारी की प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए):-</p> <p>1. अध्यक्ष अथवा सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग -अध्यक्ष</p> <p>2. संयुक्त सचिव (पशुपालन) -सदस्य</p> <p>3. संयुक्त सचिव (प्रशासन) -सदस्य</p>	<p>प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि संविदा सहित) पर अधिकारी की नियुक्ति करते समय अथवा केंद्रीय कुक्कुट विकास संगठन और यादृच्छिक नमूना कुक्कुट निष्पादन परीक्षण केंद्र में वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर 7 (44,900-1,42,400 रु.) में सहायक निदेशक का पद धारण करने वाले पदधारी की प्रोन्नति पर विचार करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक होगा।</p>

समूह 'क' विभागीय पुष्टिकरण समिति (सहायक निदेशक के पद से प्रोन्नति की पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए):-	
1. सचिव, पशुपालन और डेयरी विभाग	-अध्यक्ष
2. संयुक्त सचिव (पशुपालन)	-सदस्य
3. संयुक्त सचिव (प्रशासन)	-सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
पशुधन अधिकारी	84*(2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। <b>टिप्पणी 1:</b> संस्थान वार पदों का आबंटन निम्नानुसार होगा: 1. मुख्यालय 38 2. केन्द्रीय भेड़ प्रजनन फार्म 04 3. राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य संस्थान 13 4. केन्द्रीय पशु रजिस्ट्रीकरण स्कीम 02 5. केन्द्रीय हिमिंत वीर्य उत्पादन और प्रशिक्षण संस्थान 05 6. पशु संगरोध तथा प्रमाणन सेवाएं 06 7. केन्द्रीय गोपशु प्रजनन फार्म 12 8. केन्द्रीय कुक्कुट विकास संगठन 04 <b>टिप्पणी 2:</b> पशुधन अधिकारी के पद पशुधन अधिकारी, सहायक आयुक्त, उप आयुक्त, संयुक्त आयुक्त के ग्रेडों में कुल सम्मिलित, संस्वीकृत संख्या 84 के भीतर संचालित किए जाने होंगे।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह- 'क' राजपत्रित, और अननुसचिवीय	स्तर 10 (56,100-1,77,500 रु.) वेतन	लागू नहीं होता।	पैतीस वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) <b>टिप्पणी:</b> आयु सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित किए गए अनुसार होगी।	<b>अनिवार्य अर्हताएं:</b> (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से भारतीय पशुचिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 (1984 का 52) की प्रथम अनुसूची और द्वितीय अनुसूची में सूचीबद्ध पशुचिकित्सा विज्ञान और पशुपालन में स्नातक डिग्री; (ii) भारतीय पशुचिकित्सा परिषद या राज्यों की पशुचिकित्सा परिषद में रजिस्ट्रीकरण, और (iii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या कानूनी संगठन या स्वशासी निकायों, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों से गोपशु और पशुधन विकास या पशु स्वास्थ्य या कुक्कुट या मांस और मांस उत्पादों में तीन वर्ष का अनुभव। वांछनीय अर्हता: (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पशुचिकित्सा विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री; (ii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या कानूनी संगठनों या स्वशासी निकायों या सरकार द्वारा मान्यता

					<p>प्राप्त संस्थानों से गोपशु और पशुधन विकास या पशु स्वास्थ्य या कुक्कुट या मांस और मांस उत्पादों में तीन वर्ष का अनुभव।</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों के मामले में, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, जो संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।</p> <p><b>टिप्पण 2:</b> अनुभव संबंधी अर्हता(एं) उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के मामले में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय हो कि उनके लिए आरक्षित पदों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।</p>
--	--	--	--	--	---

क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	<b>भर्ती की पद्धति:</b> सीधी भर्ती के द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	भर्ती प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन के द्वारा होने के मामले में वे ग्रेड जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन के द्वारा की जाती है।
(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता।	एक वर्ष	<b>सीधी भर्ती द्वारा</b> <b>टिप्पण1:</b> पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केंद्रीय सरकार के निम्नलिखित अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी।	लागू नहीं होता



		(क)(i) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं: और (ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है। <b>टिप्पण 2:</b> प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अन्तिम तिथि को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	
--	--	--	--

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान है, तो इसकी संरचना	वे परिस्थितियों जिनमें भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है।
(12)	(13)
विभागीय पुष्टिकरण समिति में (पुष्टिकरण के संबंध में विचार करने के लिए) निम्नलिखित शामिल होंगे:- संयुक्त सचिव (प्रशासन) - अध्यक्ष निदेशक/ उप सचिव (प्रशासन) - सदस्य संयुक्त आयुक्त (पशुपालन) - सदस्य	पदों को भरने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[फा. सं. सी-12034/6/2018-प्रशा.]

जी. एन. सिंह, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING****(Department of Animal Husbandry and Dairying)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 5th February, 2020

**G.S.R. 91(E).**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the National Institute of Animal Health, Baghpat, Additional Director, Joint Director and Assistant Director, Recruitment Rules, 2006, Central Poultry Development Organisation and Random Sample Poultry Performance Testing Centre (Group 'A' and Group 'B' posts) Recruitment Rules, 2007, Ministry of Agriculture, Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries, Central Sheep Breeding Farm, Hissar (Group-A Posts) Recruitment Amendment Rules, 2010, Central Frozen Semen Production and Training Institute, Assistant Research Officer (Group A Post) Recruitment Rules, 2011, Central Cattle Breeding Farms, Ministry of Agriculture, Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries, Veterinary Officer (Group 'A') Recruitment Rules, 2012, Regional Officer (Group 'A') Animal Quarantine and Certification Services Recruitment Rules, 2012, Quarantine Officer Group 'A' Animal Quarantine and Certification Services, Ministry of Agriculture, Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries Recruitment Rules, 2012, Central Cattle Breeding Farms, Ministry of Agriculture, Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries, Director (Group 'A') Recruitment Rules, 2013, Central Frozen Semen Production and Training Institute, Technical Officer (Group A Post) Recruitment Rules, 2013, Ministry of Agriculture, Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries, Central Frozen Semen Production and Training Institute, Hessarghatta, Director, Group 'A' Post, Recruitment Rules, 2014, Ministry of Agriculture, Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries, Central Frozen Semen Production and Training Institute, Hessarghatta, Senior Production Officer, Group A Post, Recruitment Rules, 2014, Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries, Assistant Commissioner (Animal Husbandry) Group 'A' posts Recruitment Rules, 2017, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries, Livestock Officer (Group 'A') post Recruitment Rules, 2018, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries, Deputy Commissioner (Animal Husbandry) Group 'A' post Recruitment Rules, 2018, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries, Joint Commissioner (Animal Husbandry) Group 'A' post Recruitment Rules, 2018, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Central Herd Registration Scheme, Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries, (Group 'A' and 'B' posts) Recruitment Rules, 2018, in so far as they relates to the posts covered under Dynamic Assured Career Progression Scheme except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of

recruitment of veterinary posts covered under Dynamic Assured Career Progression Scheme under the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, in the Department of Animal Husbandry and Dairying, namely, –

**1. Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Department of Animal Husbandry and Dairying, Veterinary Posts Recruitment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. The number of posts, their classification and level in pay matrix.**— The number of post, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

**3. Method of recruitment, age-limit, and other qualifications, etc.**— The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

**4. Appointment on Deputation (including short term contract) .—**

(1) Notwithstanding anything contained in these rules, where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Commission, fill not more than twenty one posts in all, in the grades of Assistant Commissioner (Level 11), Deputy Commissioner (Level 12) and Joint Commissioner (Level 13) from suitable officers of the Central Government or State Governments or Universities or recognised research institutes or public sector undertakings or statutory organisation or autonomous bodies fulfilling the eligibility conditions mentioned in Column (11) of the schedule annexed to this notification.

(2) The period of deputation, maximum age limit for appointment on deputation and other terms and conditions shall be as per the instructions issued by Department of Personnel and Training from time to time.

**5. Disqualification.**—No person.-

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

**6. Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of these provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

**7. Savings.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the other Backward Classes, ex-Servicemen, and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Government from time to time in this regard.

#### SCHEDULE

Name of the post.	Number of posts.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualification required for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Joint Commissioner	84*(2020) *Subject to variation dependent on workload. <b>Note 1:</b> Institution-wise allocation of posts will be as	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level-13 (Rs. 1,23,100-2,15,900)	Selection post.	Not applicable	Not applicable

	<p>under :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Headquarter -38</li> <li>2. Central Sheep Breeding Farm -04</li> <li>3. National Institute of Animal Health -13</li> <li>4. Central Herd Registration Scheme -02</li> <li>5. Central Frozen Semen Production and Training Institute -05</li> <li>6. Animal Quarantine and Certification Services -06</li> <li>7. Central Cattle Breeding Farm-12</li> <li>8. Central Poultry Development Organization -04</li> </ol> <p><b>Note 2:</b> The post of Livestock Officer is to be operated in the grades of Livestock Officer, Assistant Commissioner, Deputy Commissioner and Joint Commissioner within the total combined sanctioned strength of 84.</p>					
--	---	--	--	--	--	--

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, the grades from which promotion or deputation/absorption is to be made.
(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable.	Not applicable.	100 % by promotion on in-situ basis without linkage to vacancy.	<p><b>Promotion:</b> Deputy Commissioner in level-12 (78800-209200) in the pay matrix with four years regular service in the grade.</p> <p><b>Deputation (including short-term contract):</b> Officers under the Central Government or State Governments or Union territory Administration or public sector undertakings or Universities or recognised research institutions or autonomous bodies or statutory organisations,- (a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years' regular service in grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level-12</p>

			<p>(Rs. 78,800-2,09,200) in the pay matrix or equivalent, in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) possessing the following educational qualifications and experience:</p> <p><b>Essential:</b></p> <p>(i) Bachelor's Degree in Veterinary Science and Animal Husbandry as listed in the First Schedule and Second Schedule of the Indian Veterinary Council Act, 1984 (52 of 1984);</p> <p>(ii) Registration in the Veterinary Council of India or Veterinary Council of States.</p> <p>(iii) Ten years' experience in cattle and livestock development or poultry or animal health or meat and meat products from the Central Government or State Government or Union territory Administration or statutory organisation or autonomous bodies or institutes recognised by the Government.</p> <p><b>Desirable:-</b></p> <p>Post graduate degree in any branch of the Veterinary Science and Animal Husbandry from the recognised University or institute.</p>
--	--	--	--

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
<p><b>Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-</b></p> <p>1 Secretary, Department of Animal Husbandry and Dairying -Chairperson;</p> <p>2 Joint Secretary (Animal Husbandry) -Member;</p> <p>3 Joint Secretary (Administration) -Member.</p>	Consultation with Union Public Service Commission necessary while appointing an officer on deputation (including short term contract).

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Deputy Commissioner.	<p>84*(2020)</p> <p>*Subject to variation dependent on workload.</p> <p><b>Note 1:</b> Institution-wise allocation of posts will be as under :</p> <p>1. Headquarter - 38</p> <p>2. Central Sheep Breeding Farm- 04</p> <p>3. National Institute of Animal Health - 13</p> <p>4. Central Herd Registration Scheme - 02</p> <p>5. Central Frozen Semen Production and Training Institute - 05</p> <p>6. Animal Quarantine and Certification Services - 06</p> <p>7. Central Cattle Breeding Farm - 12</p>	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level-12 (Rs 78,800-2,09,200).	Selection post.	Not applicable	Not applicable.

	<p>8. Central Poultry Development Organization - 04</p> <p><b>Note 2:</b> The post of Livestock Officer is to be operated in the grades of Livestock Officer, Assistant Commissioner, Deputy Commissioner and Joint Commissioner within the total combined sanctioned strength of 84.</p>					
--	---	--	--	--	--	--

(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable.	Not applicable	100 % by promotion on in-situ basis without linkage to vacancy.	<p><b>Promotion:</b> Assistant Commissioner in level-11 (Rs. 67700-208700) in the pay matrix with five years regular service in the grade.</p> <p><b>Deputation (including short-term contract):</b> Officers under the Central Government or State Governments or Union territory Administration or public sector undertakings or Universities or recognised research institutions or autonomous bodies or statutory organizations, -</p> <p>(a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years' regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level-11 (Rs. 67,700-2,08,700) in the pay matrix or equivalent, in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience:</p> <p><b>Essential:</b></p> <p>(i) Bachelor's Degree in Veterinary Science and Animal Husbandry as listed in the First Schedule and Second Schedule of the Indian Veterinary Council Act, 1984 (52 of 1984) ;</p> <p>(ii) eight years' experience in the cattle and livestock development or poultry or animal health or meat and meat products from the Central Government or the State Government or Union territory Administration or Statutory organisation or autonomous bodies or institutes recognised by the Government.</p> <p><b>Desirable:-</b> Post Graduate Degree in any branch of Veterinary Science and Animal Husbandry from recognised University or institute.</p>

(12)	(13)
<p><b>Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-</b></p> <p>1 Secretary, Department of Animal Husbandry and Dairying - Chairperson;</p> <p>2 Joint secretary (Animal Husbandry) - Member;</p> <p>3 Joint Secretary (Administration) - Member.</p>	<p>Consultation with the Union Public Service Commission necessary while appointing an officer on deputation (including short term contract).</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Assistant Commissioner	84*(2020) *Subject to variation dependent on workload. <b>Note 1:</b> Institution-wise allocation of posts will be as under : 1. Headquarter - 38 2. Central Sheep Breeding Farm -04 3. National Institute of Animal Health - 13 4. Central Herd Registration Scheme -02 5. Central Frozen Semen Production and Training Institute - 05 6. Animal Quarantine and Certification Services - 06 7. Central Cattle Breeding Farm- 12 8. Central Poultry Development Organization - 04 <b>Note 2:</b> The post of Livestock Officer is to be operated in the grades of Livestock Officer, Assistant Commissioner, Deputy Commissioner and Joint Commissioner within the total combined sanctioned strength of 84.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level 11 (Rs. 67700-208700).	Selection post.	Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable.	1 year probation is required for promotes from the level of Assistant Director from Central Poultry Development Organisation and Random Sample Poultry Performance Testing Centre to Assistant Commissioner.	100% by promotion on in-situ basis without linkage to vacancy.	<b>Promotion:</b> Livestock Officer in level-10 (Rs.56,100 -1,77,500) in the pay matrix with four years regular service in the Grade. <b>Note:</b> The incumbents holding the post of Assistant Director in Level 7 (Rs.44,900-1,42,400) in the pay matrix in the Central Poultry Development Organisation and Random Sample Poultry Performance Testing Centre, as on the date of notification of these rules, with essential qualification of Bachelor's Degree in Veterinary Science and registration with Veterinary Council of India or State Veterinary Council, would also be considered for promotion to the post of Assistant Commissioner, on completion of eight years of regular service in the grade.

			<p><b>Deputation (including short-term contract):</b></p> <p>Officers under the Central Government or State Governments or Union territory Administration or public sector undertakings or Universities or recognized research institutions or autonomous bodies or statutory organisations, -</p> <p>(a)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) with four years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Level 10 (Rs. 56,100 – 1,77,500) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) possessing the following educational qualifications and experience:</p> <p><b>Essential:</b></p> <p>(i) Bachelor's Degree in Veterinary Science and Animal Husbandry as listed in the First Schedule and Second Schedule of the Indian Veterinary Council Act, 1984 (52 of 1984);</p> <p>(ii) registration in the Veterinary Council of India or Veterinary Council of the States; and</p> <p>(iii) five years experience in the cattle and livestock development or poultry or animal health or meat or meat products.</p> <p><b>Desirable Qualifications :-</b></p> <p>Doctorate Degree in any branch of Veterinary Science and Animal Husbandry from a recognized University or Institution.</p>
--	--	--	--

(12)	(13)
<p><b>Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion of the incumbents holding the post of post of Livestock Officer) :-</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Secretary, Department of Animal Husbandry and Dairying –Chairperson;</li> <li>2. Joint Secretary (Animal Husbandry.) - Member;</li> <li>3. Joint Secretary (Administration) - Member.</li> </ol> <p><b>Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion of the incumbents holding the post of Assistant Director) :-</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Chairperson or Member, Union Public Service Commission - Chairman;</li> <li>2. Joint Secretary (Animal Husbandry.) - Member;</li> <li>3. Joint Secretary (Administration) - Member.</li> </ol> <p><b>Group 'A' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation of promotes from the post of Assistant Director) :-</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Secretary, Department of Animal Husbandry and Dairying - Chairperson;</li> <li>2. Joint Secretary (Animal Husbandry) - Member;</li> <li>3. Joint Secretary (Administration) - Member.</li> </ol>	<p>Consultation with Union Public Service Commission necessary while appointing an officer on deputation (including short term contract) and for considering promotion of incumbents holding the post of Assistant Director in Level 7 (Rs. 44,900 – 1,42,400) in the pay matrix in the Central Poultry Development Organisation and the Random Sample Poultry Performance Testing Centre.</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Livestock Officer.	<p>84*(2020) *Subject to variation dependent on workload.</p> <p><b>Note1:</b> Institution-wise allocation of posts will be as under :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Headquarter- 38</li> <li>2. Central Sheep Breeding Farm - 04</li> <li>3. National Institute of Animal Health - 13</li> <li>4. Central Herd Registration Scheme - 02</li> <li>5. Central Frozen Semen Production and Training Institute - 05</li> <li>6. Animal Quarantine and Certification Services - 06</li> <li>7. Central Cattle Breeding Farm - 12</li> <li>8. Central Poultry Development Organization -04</li> </ol> <p><b>Note 2:</b> The post of Livestock Officer is to be operated in the grades of Livestock Officer, Assistant Commissioner, Deputy Commissioner and Joint Commissioner within the total combined sanctioned strength of 84.</p>	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level-10 (Rs. 56,100-1,77,500).	Not-applicable.	<p>Not exceeding thirty-five years (relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.)</p> <p><b>Note:</b> The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Union Public Service Commission.</p>	<p><b>Essential Qualification:</b></p> <p>(i) A Bachelor's Degree in the Veterinary Science and Animal Husbandry as listed in the First Schedule and Second Schedule of the Indian Veterinary Council Act, 1984 (52 of 1984) from a recognised university or institution;</p> <p>(ii) registration in the Veterinary Council of India or Veterinary Council of States; and</p> <p>(iii) three years' experience in the Cattle and Livestock Development or Animal Health or Poultry or Meat and Meat Products from Central Government or State Governments or Union territory Administration or statutory organization or autonomous bodies, institutes recognised by the Government.</p> <p><b>Desirable Qualifications: -</b></p> <p>(i) Master's Degree in Veterinary Science from a recognized university or institute;</p> <p>(ii) Two years' additional experience in the Cattle and Livestock Development or Animal Health or Poultry or Meat and Meat Products from the Central Government or</p>



					<p>State Governments or Union territory Administration or statutory organizations or autonomous bodies or institutes recognized by the Government.</p> <p><b>Note 1:</b> Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified.</p> <p><b>Note 2:</b> The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.</p>
--	--	--	--	--	---

(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable.	One year.	By direct recruitment. <b>Note 1:</b> Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for	Not applicable.

		<p>a duration of one year or more may be filled on deputation from officers under the Central Government,-</p> <p>(a) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).</p> <p><b>Note 2:</b> The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.</p>	
--	--	--	--

(12)	(13)
<p><b>Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-</b></p> <p>Joint Secretary (Administration) - Chairperson;</p> <p>Director or Deputy Secretary (Administration) - Member</p> <p>Joint Commissioner (Animal Husbandry) - Member.</p>	<p>Consultation with the Union Public Service Commission is necessary for filling up of post.</p>

[F. No. C-12034/6/2018-Admn.I]

G. N. SINGH, Jt. Secy.